न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 10/2019

अनवान

1. श्री भैरू पिता सवाईराम गुर्जर निवासी कानपुरा तह व जिला भीलवाडा।
2. हीरा पिता सवाईराम गुर्जर निवासी कानपुरा तह व जिला भीलवाडा।

.... वादीगण

बनाम

1 सुखा पिता राजू गुर्जर निवासी कानपुरा तह व जिला भीलवाडा।
2 उदा पिता राजू गुर्जर निवासी कानपुरा तह व जिला भीलवाडा।
3 राज. राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,188,92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 घोषणा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा बाबत

उपस्थित :::– श्री भैरूलाल बापना वादी अधिवक्ता उप0
श्री सुरेशदास वैष्णव प्रतिवादी अधिवक्ता उप
पैरोकार सरकार उप0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 10–03–2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कानपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा में श्री मांगूनाथ पिता कालूनाथ नाथ व श्रीमती जड़ाव विधवा किशनानाथ जी नाथ निवासी कानपुरा के खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 454 चार सौ चौपन रकबा 2 दो बीघा 7 सात बिस्वा व आराजी नं. 459 चार सौ उनसाठ रकबा 5 पांच बिस्वा स्थित थी । यह कि उक्त खातेदारों मांगूनाथ व श्रीमती जड़ाव को रूपयों की आवश्यकता होने से उन्होंने वादीगण से 6,000/– छः हजार रूपये नकद लेकर के उक्त आराजी नं. 454 चार सौ चौपन रकबा 2 दो बीघा 7 सात बिस्वा मय हक हिस्सा आराजी चाह नं. 459 चार सौ उनसाठ व तालाब नं. 5 पांच सहित वादीगण को दिनांक 28–12–1979 अठाईस दिसम्बर सन् उन्नीस सौ उनयासी को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से विक्रय कर कब्जा दे दिया। वक्त बिकाव से ही इस भूमि व कुए पर हम वादीगण का कब्जा चला आ रहा है यह कि उक्त बिकाव के आ[illegible] सौ चौपन रकबा 2 दो बीघा 7 सात बिस्वा तो हम वादीगण के खाते में दर्ज [illegible]यी किन्तु आराजी चाह नं. 459 चार सौ उनसाठ रकबा 5 पांच बिस्वा [illegible] रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से हम वादीगण को बिकाव किया गया था [illegible] चाह नं. 459 चार [illegible] उनसाठ में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल व गलती से [illegible] वादीगण के नाम [illegible]त नहीं हुआ है । यह कि आराजी चाह में 459 चार सौ उनसाठ रकबा पांच बिस्वा में हम वादीगण ने विक्रेता मांगूनाथ वगैरह का जो हिस्सा था वह भी क्रय कर आधिपत्य प्राप्त कर लिया था किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:55:02 IST
Reason: SelfAttested

आराजी चाह नं 459 चार सौ उनसाठ में हम वादीगण का नाम दर्ज नहीं हो पाने का नाजायज लाभ उठाकर मांगूनाथ ने इस कुआ नं. 459 चार सौ उनसाठ को नाजायज रूप से प्रतिवादीगण को विक्रय कर दिया जबकि मांगूनाथ वगैरह का जो हिस्सा था वह पहले ही हम वादीगण को विक्रय किया जा चुका था तो इसका दुबारा विक्रय किसी भी अवस्था में प्रतिवादीगण को नहीं किया जा सकता है ऐसी परिस्थिति में अगर किसी गलत बिकाव के कारण आराजी चाह नं. 459 चार सौ उनसाठ रकबा 5 पांच बिस्वा भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज की गयी है वह हम वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। इस कारण से घोषणात्मक डिक्री द्वारा यह घोषित किया जाना आवश्यक है कि आराजी चाह नं. 459 चार सौ उनसाठ रकबा 5 पांच बिस्वा के खातेदार काश्तकार यादीगण हैं और इस भूमि को प्रतिवादीगण के खाते से हटाकर घोषणात्मक डिक्री द्वारा वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया जाना आवश्यक है यह कि उक्त आराजी चाह नं. 459 चार सौ उनसाठ राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वे उक्त कुए को खुर्द–बुर्द अन्तरित करने पर आमादा है एवं वादीगण को उक्त कुए के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करना चाह रहे हैं जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। कि वे उक्त आराजी चाह नं. 459 चार सौ उनसाठ रकबा 5 पांच बिस्वा को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अन्तरित व भारित नहीं करे तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादीगण के अधिकारों पर विपरीत असर पड़े ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 05.07.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन/नोटीस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। विपक्षी कम 01 व 02 की और अधिवक्ता श्री हरदयाल वर्मा द्वारा वकालतनामा दिनांक 12.07.2010 को प्रस्तुत किया गया, तथा दिनांक 27.07.2010 को जवाबदावा प्राप्त होकर रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण मे तनकियात कायम की गई। बाद तनकियात कायमी वादी पक्ष को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदत्त किया गया। वादी पक्ष द्वारा गवाह के बतौर हीरा/सवाईराम गुर्जर के साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिशल किये गये तथा प्रकरण मे साक्ष्य वादी से विपक्षी द्वारा जिरह की स्टेज नियत की गई। दिनांक 13.06.2011 को साक्ष्य वादी मे उपस्थित वादी के बयान संपादित करवाये गये, जिन्है रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 12.12.2011 को साक्ष्य वादी भैरू पिता सवाईराम गुर्जर रामलाल पिता कालू गुर्लर से प्रतिवादी अधिवक्ता ने जिरह को साक्ष्य वादी बंद करवायी प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु स्टेज नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 08.07.2015 राजस्व लोक अदालत में वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की गई , जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में अपील की गई जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2015 को अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान अधी०न्यायालय को इन निर्देशों साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकाराना का साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार पुनः गुणावगुण पर निर्णित करें।

उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील की गई जिसमें मा० [illegible] 2019 को अपील खारिज कर भू०प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधि[illegible]डा का निर्णय दिनांक 30.09.2015 यथावत रखा गया। उक्त निर्णय के [illegible] न्यायालय में पत्रावली दर्ज हुई कर विपक्षी कम 01 व 02 की [illegible] सुरेशदास वैष्णव द्वारा वकालतनामा दिनांक 09.07.2019 को प्रस्तुत किया गया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:55:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे 05 तनकियात कायम की गई। बाद तनकियात कायमी प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदत्त किया गया। प्रतिवादी साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिशल किये गये तथा प्रकरण को बहस/अन्तिम हेतु नियत किया गया। वादी की और से

प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है। प्रकरण मे 05 तनकियात कायम होकर बाद विश्लेषण निम्नानुसार निर्णित की गई।

तनकि संख्या 01– आया, आराजी संख्या 454 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा मय हक हिस्सा चाह नम्बर 459 व तालाब नम्बर 5 सहित वादीगण को 28.12.1979 को तत्कालीन खातेदार मांगूनाथ व जडाव ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादीगण को विक्रय कर कब्जा दे दिया?

ब–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 02– आया ग्राम कानपुरा की आ.न. 454 को तो वादीगण के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया और आराजी नं. 459 का हिस्सा वादीगण अपने नाम पर अभिलेख में दर्ज कराने की घोषणा कराने के अधिकारी है?

तनकी संख्या 03– आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेद्याज्ञा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है?

ब–जिम्मे वादी

तनकी संख्या 04– आया विकयपत्र को खारिज करने का वाद सुनने का अधिकार क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है इसलिए खारिज होने योग्य है?

ब–जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 05–आया धारा 80 व्यवहार प्रकिया संहिता का नोटिस दिये बिना दावा पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है?

ब–जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी. संख्या 06– अनुतोष

उक्त प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यु–1 हीरा पिता सवाईराम गुर्जर नि. कानपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा के बयान लेखबद्ध किये गये, पी.डब्ल्यु–2 में सूरजमल पिता गोकल गुर्जर नि. कानपुर तह हमीरगढ जिला भीलवाडा के बयान लेखबद्व किये गये पी. डब्ल्यु 4 में भैरू पिता सवाईराम गुर्जर नि. कानपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा के बयान लेखबद्व किये पी.डब्ल्यु 5 रामलाल पिता कालू गुर्जर नि. कानपुर तह हमीरगढ जिला भीलवाडा के बयान लेखबद्ध किये एवं प्रदर्श–02 में जमाबंदी संवत 2065–2067 एवं प्रदर्श–04 जमाबंदी संवंत 2036–39 प्रतिवादी की और से डी.डब्ल्यू 3 प्रभु पिता जोधा गुर्जर नि.तकडिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा के बयान लेखबद्ध किये गये।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सूनी गई पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में प्रस्तुत वादपत्र जवाबदावा एवं दस्तावेज साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिसके कम में तनकीवार निर्णय निम्न है:–

तनकी संख्या 01

उक्त तनकी का सिद्ध करने का [illegible]गण का है। पंजीयन दिनांक 28.12.1979 को तत्कालीन खातेदार मांगूनाथ [illegible] विक्रय पत्र से आराजी नं. 454 रकबा 2 बिघा 07 बिस्वा का स[illegible] जाहिर हो रहा है। जबकि आराजी नं. 459 रकबा 5 बिस्वा का पंजीयन कर्ता के पक्ष में ना करके केवल आराजी नं. 459 तालाब संख्या 5 हक हिस्सा सहित बैचान किया गया है जिससे रकबा 5 बिस्वा का विवरण नही है, इस प्रकार वादी द्वारा तनकी संख्या 01 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। इस कारण तनकी संख्या 01 का निर्णय वादी विरूद्ध किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:55:02 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 02

उक्त तनकी का सिद्ध करने का भार वादी का है। आराजी नं. 454 चार सौ चौपन रकबा 2 दो बीघा 7 सात बिस्वा मय हक हिस्सा आराजी चाह नं. 459 चार सौ उनसाठ व तालाब नं. 5 दिनांक 28.12.1979 को वादी ने अपने पक्ष में पंजीयन कराया है परन्तु आराजी नम्बर 459 रकबा 5 बिस्वा का पंजीयन अपने पक्ष में नही कराया है। वादी द्वारा आराजी संख्या 459 इसलिए खातेदारी हकदार नही है। इस प्रकार तनकी सं. 2 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। इस कारण तनकी संख्या.02 का निर्णय वादी विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 03

उक्त तनकी का सिद्ध करने का भार वादी का है आराजी 459 रकबा 5 बिस्वा का पंजीयन वादीगण ने अपने पक्ष में नही करवाया है। इसलिए प्रतिवादीगण को निषेद्याज्ञा से पाबन्द पाबन्द करने हकदार नही रखता है। इस प्रकार तनकी सं. 3 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा इस कारण तनकी सं. 03 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 04

उक्त तनकी का सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है। पंजीयन दस्तावेज मे आराजी नं. 459 रकबा 5 बिस्वा का बिकाउ नही होने से वाद खारीज योग्य है। इस प्रकार तनकी संख्या 04 आने पक्ष में साबित करने में प्रतिवादी सफल रहा । इस प्रकार तनकी संख्या 04 का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 05

उक्त तनकी का सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का है। पत्रावली अवलोकन किया गया जिसमें प्रति सं. 3 राज्य सरकार पक्षकार है। जिसमें धारा 80 जा0दी0 के तहत दो माह का नोटीस देना आवश्यक है जो नही दिया गया है। अतः उक्त तनकी संख्या 05 वादी विरूद्ध तय की जाती है। इस प्रकार तनकी संख्या 05 का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 06 अनुतोष

वादी अपनी तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है, वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित प्रसतुत माना जाकर पोषणीय नही होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित करावें।

–::आदेश::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,188,92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 घोषणा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा बाबत बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी के आधारहीन व अपने वादपत्र में चाही गयी दाद को सिद्ध करने में असफल रहने से खारिज किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:55:02 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 10/2019

अनवान

1. श्री भैरू पिता सवाईराम गुर्जर निवासी कानपुरा तह व जिला भीलवाडा।
2. हीरा पिता सवाईराम गुर्जर निवासी कानपुरा तह व जिला भीलवाडा।

.... वादीगण

बनाम

1 सुखा पिता राजू गुर्जर निवासी कानपुरा तह व जिला भीलवाडा।
2 उदा पिता राजू गुर्जर निवासी कानपुरा तह व जिला भीलवाडा।
3 राज. राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,188,92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 घोषणा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा बाबत

उपस्थित :::– श्री भैरूलाल बापना वादी अधिवक्ता उप0
श्री सुरेशदास वैष्णव प्रतिवादी अधिवक्ता उप
पैरोकार सरकार उप0

वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया वादपत्र 88, 89,188,92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 घोषणा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा बाबत इंगित तथ्यों को वादी सिद्ध कराने में असफल रहने तथा वादपत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत हुआ माना जाकर पोषणीय नही होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। आज दिनांक 10.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:55:02 IST
Reason: SelfAttested

(अशुंल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा